न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 54/16 दायर दिनांक: 06.06.2016

जीसीएमएस नं. 2016/00083

1 बोद्या 2 सुमरत्या पुत्रान केशो 3 शिवदेई पत्नि स्व. रामजीलाल 4 कैलाश 5 बाबूलाल पुत्रान रामजीलाल जातियान मीना नि. मालपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादीगण

बनाम

1 हरिओम 2 ओमप्रकाश पुत्रान ख्याली जाति मीना नि. मालपुर तह. भुसावर 3 रामनिवास पुत्र हुक्मी जाति मीना नि. चक खेडली गूजर तह. वैर 4 भगवती पत्नि श्री किशन जाति मीना नि. खिरनी तह. भुसावर 5 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर 6 जलबाई पत्नि रामधन जाति मीना नि. मालपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी	––वादीगण
2 श्री आजाद बाबू	––प्रति.सं. 1,2
3 श्री महेश मीना	––प्रति.सं. 6

<u>निर्णय दिनांक 06/08/2025</u>

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 30/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 84 रकबा 11 बिस्वा, 102/2 रकबा 02 बिस्वा, 150/1 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, 206/1 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, 255 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, 285/2 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मालपुर तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के, वादीगण संख्या 3 लगायत 5 वाहिस्सा बराबर 1/4 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आ.ख.नं. 206/1 व 285/2 को छोडकर शेष खसरा नंबरान पर व हिस्सा बराबर 1/4 हिस्से के, प्रतिवादी संख्या 3 आ.ख.नं. 285/2 पर 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 4 आ.ख.नं. 206/1 पर 1/4 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से मौके पर काश्त करते हुये राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त काश्तकारी एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है। जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। लेकिन मौके पर मनवट करते हुये अपने–2 हिस्सों पर काश्त कर रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो वादग्रस्त आराजी में से मौके की व अच्छी–2 जमीन को एवं वादीगण का जिस हिस्से पर ट्यूबवैल लगा हुआ है, को अपने कब्जे में लेते हुये दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है एवं वादीगण को उसके हिस्से का पूरा–2 लाभ प्राप्त नहीं होने देते है। बिना विभाजन वादग्रस्त आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

दिनांक 05.01.2016 को वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इंकार करते हुये धमकी दी है कि हम तो मौके की व अच्छी–2 जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए दीगर व्यक्तियों को रहन, वय व मुन्तकिल कर देंगें और तुम्हें मौके की आराजी से वंचित करते हुये बेदखल कर देंगें तथा तुम्हें शान्तिपूर्वक काश्त भी नहीं करने देंगें। अतः वादीगण, प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात का मौके पर विभाजन कर अलग–2 कुरे कायम किए जाकर कानूनी विभाजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री आजाद बाबू एड. द्वारा पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के आधार पर पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। वाद सुनवाई दावा वादी दिनांक 16.11.2016 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा उनके पत्रांक / 1137 दिनांक 22.04.2019 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

कुरेजात प्रस्ताव पर प्रार्थी बाबूलाल द्वारा दिनांक 20.05.2019 को आपत्ति लगाई गई एवं कुरेजात रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भिजवाये गये प्रपत्र में नहीं होने के कारण तहसीलदार, भुसावर को पुनः निर्धारित प्रपत्र में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने बाबत इस कार्यालय के पत्रांक / 2110 दिनांक 02.08.2023 से लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा उनके पत्रांक / एल.आर. / 2025 / 4521 दिनांक 03.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक / एल.आर. / 2025 / 4521 दिनांक 03.07.2025 के अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०